21

संख्याः– 823 /VI(1)/2013–15(16)/2012

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 03 मई, 2013

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास की नई योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–387/2–6–317(मा0 मु0मंत्री–घोषणा)/2012–13, दिनांक 27 फरवरी, 2013 व पत्र संख्या–420/2–6–317(मा0 मु0मंत्री–घोषणा)/2012–13, दिनांक 12 मार्च, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास की निम्नलिखित नई योजनाओं हेतु ₹ 15.06 लाख के आगणन पर वित्त विभाग के टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 10.41 लाख (रूपये दस लाख इक्तालीस हजार मात्र) पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 1.74 लाख (रूपये एक लाख चौहत्तर हजार मात्र) को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	योजना का नाम	आगणन की लागत	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली	कुल संस्तुत धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	सेम नागराजा मंदिर मुखेम का पर्यटन विकास (प्रथम चरण हेतु)	5.17	0.52	-	0.52	0.52
2	खैट पीढ़ी–1 एवं पीढ़ी–2 के अन्तर्गत खैट पर्वत पर अवस्थित दुर्गा मन्दिर तक विद्युत संयोजन का कार्य	9.89	-	9.89	9.89	1.22
	योग :–	**15.06**	**0.52**	**9.89**	**10.41**	**1.74**

2– कार्य करने से पूर्व मत्वार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2014 तक अवश्य कर लिया जाय।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

...2

7– एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

9– कार्यदायी संस्था के निर्धारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–122/XXVII(2)/2013, दिनांक 27 मई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

12– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी– S/130626002B द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पवांर)
सचिव।

संख्याः– 823/VI(1)/2013–15(16)/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
4– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
5– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– जिलाधिकारी, टिहरी, रूद्रप्रयाग।
8– जिला पर्यटन विकास आधिकरी, टिहरी, रूद्रप्रयाग।
9– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
अनुसचिव।